(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 21/2019-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि........ (अ.)- संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 703(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्दों और कोष्ठक "बीस लाख रुपए (किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रुपए)" के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठक और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

"इतनी राशि थी जितने से कि वे केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त करने के पात्र हों"

(ख) क्रम संख्या 9क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9कक	अध्याय 99	भारत में आयोजित होने वाली FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के अंतर्गत किसी भी समारोह में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: फेडरेशन इंटरनेशल डी फुटबाल एसोसिएशन (FIFA) और इसके सहायक	शून्य	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय यह प्रमाणित कर दे कि ये सेवाएं प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: FIFA U-17 महिला विश्व

		संगठनों के द्वारा या इनको प्रदान की जाने वाली सेवाएं ।		कप, 2020 के अंतर्गत आने वाले समारोह से संबंधित हैं ।”;

(ग) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द “कम” के पश्चात शब्द “या के बराबर” को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक “2019” के स्थान पर अंक “2020” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक “2019” के स्थान पर अंक “2020” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 24क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“24ख	शीर्षक 9967 या शीर्षक 9985	अनाज, दालें, फल, नट्स और सब्जियां, मसाले, कोपरा, गन्ना, गुड़, कच्चे वनास्पति रेशे जैसे कि कपास, फ्लैक्स, जूट आदि, नील, गैर विनिर्मित तंबाकू, पान के पत्ते, तेंदू के पत्ते, काफी और चाय के भंडारण या वेयरहाउसिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य”;

(छ) क्रम संख्या 29क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“29ख	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (गृह मंत्रालय के अंतर्गत) समूह बीमा कोष के द्वारा संबंधित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत अपने सदस्यों को जीवन बीमा से संबंधित दी गई या दिए जाने के लिए अनुबंधित सेवाएं	शून्य	शून्य”;

(ज) क्रम संख्या 35 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में प्रविष्टि (थ) के पश्चात शब्द "(द) बंग्ला सस्य बीमा" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(झ) क्रम संख्या 45 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में जहां-जहां शब्द और कोष्ठक "बीस लाख रुपए (किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रुपए)" आए हों, वहां-वहां उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"इतनी राशि थी जितने से कि वे केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त करने के पात्र हों"

(ञ) क्रम संख्या 82 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82क	शीर्षक 9996	FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के अंतर्गत आयोजित होने वाले समारोह में प्रवेश के अधिकार देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य";

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी ।

(फाइल संख्या 354/136/2019-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 13/2019-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 31 जुलाई, 2019, सा.का.नि 544 (अ), दिनांक 31 जुलाई, 2019, के द्वारा संशोधन किया गया है ।